

जनपद-मीरजापुर

दिनांक 07.10.2020

टॉप-10 सूची का शातिर अपराधी थाना चील्ह पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार —

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 06.10.2020 को 30नि0 अशोक कुमार सिंह थाना चील्ह मय हमराह हे0का0 मोहम्मद शकील खान,का0 दीपक कुमार,का0 रवि यादव, का0 अगम सिंह गश्त/चेकिंग में मामूर थे, इस दौरान जरिये मुखबीर की सूचना पर ग्राम नपऊर के पास सेमरा रोड़ मोड़ से समय लगभग 17.10 बजे टॉप-10 सूची का शातिर अपराधी प्रमोद कुमार शुक्ल उर्फ विडंबना शुक्ल पुत्र शिव प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम सेमरा थाना चिल्ह मीरजापुर को 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना चील्ह पर आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत है, पूर्व में अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की जा चुकी है।

#### आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0-18/2019 धारा 307 भा0द0वि0 थाना चील्ह मीरजापुर।
- 2-मु0अ0सं0-150/2008 धारा 504,506 भा0द0वि0 थाना चील्ह मीरजापुर।
- 3-मु0अ0सं0-739/2008 धारा 307,427 भा0द0वि0 थाना को0 शहर मीरजापुर।
- 4-एनसीआर संख्या-05/2009 धारा 352,427 भा0द0वि0 थाना को0 शहर मीरजापुर।
- 5.-मु0अ0सं0-653/2006 धारा 307,120 बी,147,148 भा0द0वि0 व 07 सीएलए एक्ट थाना गोपीगंज भदोही।
- 6- मु0अ0सं0-227/2004 धारा 302 भा0द0वि0 थाना विन्ध्यांचल मीरजापुर।
- 7-मु0अ0सं0-34/2009 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना चील्ह मीरजापुर।
- 8- मु0अ0सं0-597/2009 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना चील्ह मीरजापुर।
- 9-मु0अ0सं0-55/2009 धारा ¼ गुण्डा अधिनियम थाना चील्ह मीरजापुर।

